

राजस्थान सरकार



सत्यमेव जयते


रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक : 427 / जयपुर / 97-98

यह प्रमाणित किया जाता है कि राजस्थान काउन्सिल ऑफ प्राइमरी एजुकेशन सोसायटी, जयपुर का रजिस्ट्रेशन राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत दिनांक 03.11.1998 को किया गया था।


इस संस्थान का नाम परिवर्तित कर राजस्थान काउन्सिल ऑफ रे ली मेन्ट्री एजुकेशन सोसायटी जयपुर कर दिया गया था। यह परिवर्तन राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के प्रावधानान्तर्गत किया गया था।

अब इस संस्थान का नाम परिवर्तित कर RAJASTHAN COUNCIL OF SCHOOL EDUCATION



कर दिया गया है। यह परिवर्तन राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के प्रावधानान्तर्गत किया गया है।

यह प्रमाण पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से दिनांक 03/09/2020 को जयपुर में जारी किया गया है।


रजिस्ट्रार (संस्था)
जयपुर (संस्था)
जयपुर